भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 61

01.12.2025 को उत्तर के लिए

वन-क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि

61. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:
श्री सुखदेव भगतः
श्री मनोज कुमार:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में वन-क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं में तेजी से हो रही वृद्धि पर ध्यान दिया है, जिसमें जनवरी और सितंबर, 2025 के बीच 8091 से अधिक मामले शामिल हैं, जी कि महाराष्ट्र में 2024 की तुलना में 56 प्रतिशत की वृद्धि है;

(ख) सरकार द्वारा महाराष्ट्र और बिहार सहित देश भर में राष्ट्रीय वन-क्षेत्र में अग्निजन्य घटनाओं संबंधी निगरानी और हरित भारत मिशन योजनाओं के तहत अग्निजन्य घटनाओं संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली, उपग्रह डेटा और त्वरित-प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र और बिहार के भीतर अत्यधिक अग्नि जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए किसी विशेष केंद्रीय सहायता या योजना में बदलाव को मंजूरी दी गई है और इस हेतु अब तक कितनी राशि जारी की गई है;

(घ) मानवजन्य आग की घटनाओं जैसे कि वन-उपज संग्रह या चराई से लगने वाली आग को रोकने के लिए राज्य वन विभाग और अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करने की क्या योजना है;

(ङ) क्या 'पर्यावरण संपरीक्षा नियम, 2025' वन्य-क्षेत्र की आग की घटनाओं संबंधी रोकथाम कार्यक्रमों पर कार्यान्वित होंगे और इसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा;

(च) महाराष्ट्र और बिहार में वन्य-क्षेत्र की आग की प्रमुख घटनाओं में कब तक कमी आएगी और इसकी प्रगति की निगरानी के लिए क्या प्रणाली है; और

(छ) सरकार द्वारा वनक्षेत्र की आग को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी, वित्तपोषण सहित किन नई निवारक और अग्नि शमन रणनीतियों को अपनाया गया है और उन्हें राष्ट्रव्यापी रूप से कार्यान्वित करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) भारत में वनाग्नि एक निरंतर चुनौती है, जो प्राकृतिक कारकों जैसे उच्च तापमान, लंबे समय तक सूखे पड़ने और बिजली गिरने, और मानव-जनित कारणों जैसे कि स्थानांतरित खेती, चारे के लिए जानबूझकर आग लगाना, आकस्मिक आग आदि के संयोजन से उत्पन्न होती है। शुष्क पर्णपाती और पहाड़ी जंगलों में, सूखे ईंधन भार, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान के

कारण ये जोखिम और भी बढ़ जाते हैं। वनाग्नि के प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए मजबूत पूर्व चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी, पर्याप्त अग्नि-तैयारी उपाय और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। लेकिन, आग की रोकथाम और प्रबंधन सहित वन संरक्षण मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन का दायित्व है।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा उपग्रह-आधारित सेंसरों का उपयोग करके देश में वनाग्नि की घटनाओं का पता लगाया जाता है। एफएसआई, देहरादून से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2023 से जून 2024 तक देश भर में वनाग्नि के मौसम में कुल 2,03,544 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गईं, और नवंबर 2024 से जून 2025 तक 2,38,309 घटनाएं दर्ज की गईं। महाराष्ट्र में, एसएनपीपी-वीआईआईआरएस द्वारा सैटेलाइट से की गई निगरानी में, नवंबर 2023 से जून 2024 तक 16,008 और नवंबर 2024 से जून 2025 तक 25,759 वनाग्नि का पता चला।

(ख) और (ग) वनाग्नि से बचाव के लिए, मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से, पंजीकृत ग्राहकों और राज्य वन विभाग के अधिकारियों को वन में आग लगने से पहले के अलर्ट (एक सप्ताह पहले), वन में भीषण आग लगने की चेतावनी और नियर रियल टाइम वन अग्नि चेतावनी प्रदान करता है, ताकि वनाग्नि से मुकाबला किया जा सके। यह मंत्रालय, केंद्र प्रायोजित योजना - वन अग्नि निवारण और प्रबंधन के तहत राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्र को वनाग्नि से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, महाराष्ट्र को ₹147.06 लाख और बिहार को 142.85 लाख रुपये जारी किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, महाराष्ट्र को 427.21 लाख रुपये जारी किए गए, जबकि बिहार राज्य को कोई धनराशि जारी नहीं की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (अब तक) में, महाराष्ट्र को ₹150.00 लाख जारी किए गए हैं, जबकि बिहार को कोई राशि जारी नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, बिहार राज्य को ₹146.16 लाख की राशि उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग के लिए पुनः मान्य की गई थी। फिर भी, बिहार राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 (अब तक) में बिहार को कोई धनराशि जारी की गई है।

(घ) वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में राष्ट्रीय वन अग्नि कार्य योजना-2018 को लागू करना शामिल है, जो वनाग्नि को रोकने और आग के खतरों के खिलाफ वनों की अनुकूलता को बढ़ाने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती है। इसके साथ ही, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ मिलकर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -विशिष्ट उपायों को करने के लिए राज्य कार्य योजनाएं तैयार करते हैं। यह मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से, पंजीकृत ग्राहकों और राज्य वन विभाग के अधिकारियों को वनाग्नि से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूर्व-अग्नि अलर्ट (एक सप्ताह पहले), वन में भीषण आग लगने की चेतावनी और नियर रियल टाइम वनाग्नि की

चेतावनी प्रदान करता है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के सहयोग से, भीषण वनाग्नि से निपटने के लिए 150 कर्मियों की तीन टीमों को प्रशिक्षित किया है, और इन टीमों को आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है। मंत्रालय वन अग्नि निवारण और प्रबंधन (सीएसएस-एफएफपीएम) नामक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य वनों में आग लगने की घटनाओं को कम करना, प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों की रक्षा करना तथा प्रभावित वन क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना है। इस योजना के अंतर्गत उन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वन अग्नि रेखाओं का निर्माण और रखरखाव, वन अग्नि निरीक्षकों को नियुक्त करना, जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण, वन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अग्निशमन उपकरण खरीदना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मिट्टी और नमी का संरक्षण करना, जागरूकता बढ़ाना और वन अग्नि सुरक्षा के लिए समुदायों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

(ड.) पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 में पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने का प्रावधान है। ये लेखा परीक्षक सरकार के पर्यावरण कानूनों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं या निर्देशों के तहत काम करते हैं। उन्हें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुपालन सत्यापन, लेखा परीक्षा और अन्य कार्य करने होते हैं। वनाग्नि निवारण कार्यक्रमों के लेखा-परीक्षा को अपने दायरे में शामिल करना, और परिणामस्वरूप नियमित लेखा-परीक्षा करना, उल्लंघनों या गैर-अनुपालना की स्थिति का शीघ्र पता लगाने में मदद कर सकता है, जिससे आग की घटनाओं को रोकने में सहायता मिल सकती है।

(च) महाराष्ट्र और बिहार सहित पूरे देश में वनाग्नि की बड़ी घटनाओं को कम करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा बताना मुश्किल है, क्योंकि वनाग्नि की घटनाएं अत्यधिक परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों, मौसमी वर्षा, तापमान के चरम सीमा तक पहुँचते और मानवीय गतिविधियों पर निर्भर करती हैं, जो सभी परिवर्तनशील हैं। आग में कमी लाने का तरीका राज्य कार्य योजनाओं के लगातार लागू होने, समुदाय की सक्रिय भागीदारी और अनुकूल मौसम पर निर्भर करता है। इसकी प्रगति को एफएसआई द्वारा एसएनपीपी-वीआईआईआरएस के माध्यम से पता लगाए गए वनाग्नि की चेतावनी में हर साल होने वाली कमी, आग से प्रभावित क्षेत्र और फील्ड स्टाफ द्वारा आग का पता चलने और उस पर पहली कार्रवाई करने के बीच लगने वाले समय से मापा जाता है। अतिरिक्त संकेतकों में एफएफपीएम सहायता के तहत अग्नि लाइनों, जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव; सामुदायिक प्रशिक्षण, जेएफएमसी/ईडीसी/वैन पंचायत कार्यक्रमों की संख्या, और आयोजित जागरूकता कार्यक्रम;

पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अनुपालन और निष्पादन लेखा परीक्षा; एनडीएमए/एनडीआरएफ के साथ प्रशिक्षित विशेष अग्निशमन टीमों की तैनाती और उपयोग; और एफएसआई की बड़ी अग्नि चेतावनी प्रणाली द्वारा कैप्चर की गई भीषण आग की घटनाएं शामिल हैं। उपरोक्त मेट्रिक्स/संकेतकों का उपयोग करके निरंतर मूल्यांकन, साथ ही राज्य सरकारों द्वारा मजबूत और निरंतर कार्यान्वयन, महाराष्ट्र, बिहार और अन्य राज्यों में आगामी अग्नि मौसमों में वनाग्नि की घटनाओं में गिरावट की प्रवृत्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकता है।

(छ) सरकार ने वनाग्नि को रोकने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई हैं, जिनमें बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली, समुदाय की अधिक भागीदारी और वित्तीय तथा संस्थागत सहायता में वृद्धि शामिल है। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने वैज्ञानिक वन अग्नि जोखिम क्षेत्र मानचित्रण शुरू किया है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में पूरे देश में आग लगने से पहले की चेतावनी, वास्तविक समय की चेतावनी और भीषण आग की चेतावनी प्रदान करता है। वन अग्नि पर राष्ट्रीय कार्य योजना (2018) समुदाय-आधारित प्रबंधन पर बल देती है, और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जेएफएमसी, ईडीसी, वन पंचायतों, और वन-सीमांत समुदायों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिन्हें मंत्रालय द्वारा जारी सलाहों का समर्थन प्राप्त है। एनडीएमए और एनडीआरएफ के साथ समन्वय में, भीषण अग्निकांडों के प्रबंधन में राज्यों की सहायता के लिए 150 प्रशिक्षित कर्मियों वाली तीन विशेष टीमें स्थापित की गई हैं। केंद्र प्रायोजित योजना वन अग्नि निवारण और प्रबंधन के तहत वित्तीय सहायता से अग्नि रेखा निर्माण, जल भंडारण संरचनाएं, अग्नि निरीक्षकों की तैनाती, उपकरणों की खरीद और सामुदायिक प्रशिक्षण में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय एनडीएमए के माध्यम से, 19 राज्यों के 144 आग संभावित जिलों में वन अग्नि जोखिम प्रबंधन के लिए उपशमन योजना लागू कर रहा है। मंत्रालय वनाग्नि के रोकथाम, उपशमन और प्रतिक्रिया के लिए आईसीएफआरई के माध्यम से मानक संचालन प्रक्रियाओं को भी अंतिम रूप दिया है, और कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को परिचालित किया है। एफसीआई का जोखिम क्षेत्र निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर संसाधन आवंटन को सक्षम बनाता है, और मंत्रालय जलवायु-अनुकूल वन बायोमास उपयोग रणनीतियों को भी बढ़ावा देता है। वन अग्नि निवारण के लिए सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने और वन-सीमांत समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से परामर्शी जारी की जाती हैं।

*****